पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रो से वांछित में 10 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22-02-2021

दिनांक 20/21-02-2021को रात्रि थाना हसनगंज 02, कैसरबाग 01, नगराम 01, अलीगंज 02, विकासनगर 02, कृष्णानगर 01 गिरफ्तार। इस प्रकार वंछित में कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

नगराम:-दिनांक 21-02-2021 को हे0का0 श्री सरवर आलम थाना नगराम लखनऊ द्वारा अभियुक्ता 01-पूजा पत्नी संतराम निवासिनी-दक्षिण टोला कस्बा नगराम थाना नगराम लखनऊ को कस्बा नगराम से अब्बास नगर चैराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

बंथरा:-दिनांक 21-02-2021 को एस0आई0 श्री अरूण कुमार थाना बंथरा लखनऊ द्वारा अभि0 01-ईश्वरी रावत पुत्र डोरी रावत निवासी-ग्राम मवई पड़ियाना थाना बंथरा को मवई पड़ियाना तिराहा ग्राम एन से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना बंथरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 उत्तरी।

सट्टा खेलते समय गिरफ्तार।

गाजीपुर:-दिनांक 21-02-2021 को हे0का0 ऋषि तिवारी थाना गाजीपुर द्वारा अभि0 01-राहुल मोदी पुत्र महेन्द्र मोदी निवासी-19/1344 इंदिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ को सार्वजनिक स्थान पान की दुकान के पास प्राइम प्लाजा कार्नर निकट मुंशी पुलिया से आनलाइन सट्टा खेलते व खिलवाते समय गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन व 1600/-रूपये नगद बरामद कर थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

थाना बंथरा:-दिनांक 22-02-2021 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि वादी हरिवेन्दर सिंह पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह निवासी-ग्राम नरायनपुर पोस्ट हरौनी थाना बन्थरा लखनऊ ने थाना बन्थरा पर सूचना दिया कि वादी का छोटा भाई नितेश सिंह दिनांक 21-02-2021 को अपनी मोटर साइकिल नं0 यू0पी0 32 एचडब्ल्यू 1808 से घर से माता जी की दवा लेने के लिये हरौनी जा रहा था, कि हरौनी क्रांसिग के पास होटल विजय के पास जाम लगा था वादी का भाई अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर बांयी तरफ था तभी करीब 07.30 बजे शाम को डीसीएम नं0 यू0पी0 35 टी 1149 का चालक नाम पता अज्ञात ने डीसीएम को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के भाई नितेश सिंह को पीछे से टक्कर मार दिया जिससे वादी के भाई की मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गयी और वादी के भाई को गम्भीर चोंटे आई जिसे इलाज के लिए आर्शीवाद हास्पिटल बंथरा में भर्ती किया गया जहां इलाज के दौरान वादी के भाई नितेश सिंह की मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना बन्थरा पर मु0अ0सं0 56/2021 धारा 279/338/304ए/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री राजेश कुमार मिश्रा थाना बंथरा द्वारा की रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक मजदूरी करता था।